

वनमण्डलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जाँच सूची

-00-

कार्य पालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 शहडोल म.प्र. द्वारा दियापीपर जलाशय के अन्तर्गत प्रस्तावित 3.077 है० वनभूमि का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 17.11.2017 को किया गया। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	विशेष	वनमण्डलाधिकारी / मुख्य वनसंरक्षक द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट	
1	सीमा हेक्टेयर	3.077 है० वनभूमि	
2	वनभूमि के स्थान (अक्षांश देशांश डायवर्जन के लिये प्रस्ताव रखा।	1	23°26'11.914"N 81°24'49.752"E
		2	23°26'12.081"N 81°24'53.245"E
		3	23°26'14.934"N 81°24'55.338"E
		4	23°26'12.379"N 81°25'0.288. "E
		5	23°26'13.727"N 81°25'1.133"E
		6	23°26'13.810"N 81°25'1.924"E
		7	23°26'14.923"N 81°25'2.194"E
		8	23°26'15.704"N 81°25'3.883."E
		9	23°26'16.355"N 81°24'59.513"E
		10	23°26'17.023"N 81°24'54.689"E
		11	23°26'15.497"N 81°24'52.357"E
		12	23°26'15.047"N 81°24'52.120"E
		13	23°26'14.761"N 81°24'51.570"E
		14	23°26'14.024"N 81°24'51.319"E
		15	23°26'12.888"N 81°24'50.051"E
3	वनभूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि) की कानूनी स्थिति।	संरक्षित वन कक्ष क्रमांक - पी. 712	
4	आस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्थान एवं वन कर्मचारियों के साथ संयुक्त सीमांकन किया गया है।	
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण।	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी. 712 में श्रीमती श्यामा बाई/रामलाल बैगा 0.988 है० वनक्षेत्र में वर्ष 2005 के पूर्व से अतिक्रमण किया था, जिसे भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 का नियम 8(ज) के तहत हक प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया था।	
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।	

	कर लिया गया हो तो वनसंरक्षक अधिनियम के दिशा निर्देशों के तहत उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण।	
7	वनस्पति की स्थिति साइट की गुणवत्ता/ प्रजाति संरचना आदि	बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त वनक्षेत्र है। वर्तमान में साइट की गुणवत्ता श्रेणी IVB, है।
8	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीवन की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों, और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्यजीवों की बहुतायत की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	मुख्य रूप से वन्यप्राणी हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी सियार एवं बन्दर पाये जाते हैं। यदाकदा चिंकारा दिखाई देते हैं।
9	वनस्पति, पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थानिकता।	निरंक
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	वर्तमान कार्य आयोजना में आर.डी.एफ. कार्यवृत्त अन्तर्गत सम्मिलित है।
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	निरंक
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता।	आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो ऐरिया दर्शाई गई है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति/परिवार का निर्भरता नहीं है परन्तु अतिक्रमणकर्ता श्रीमती श्यामा बाई/रामलाल बैगा 0.988 है० कक्ष क्रमांक पी. 712 में हक प्रमाण पत्र दिया गया है, जो बांध में प्रभावित हो रहा है।
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव।	हाँ
14	वहाँ किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये है ? वहाँ विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है ?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश में नहीं आयी है।
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपर्युक्ता का स्थान अगर बिगड़े वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना के अनुसार विवरण गैर वनभूमि है तो, नजदीक वनक्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलो मीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिये।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल को पत्र क्रमांक/एफ-3/4/3484 दिनांक 22.11.2017 से दिये गये निर्देशानुसार उक्त परियोजना 5.000 है० से कम एवं नक्शाल प्रभावित जिले में होने के कारण क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की आवश्यकता नहीं है।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके आलावा नजदीकी के संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि०मी० की दूरी पर होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. से अधिक है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भरता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गयी है।	निरंक
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से निवासियों को सिंचाई की सुविधा की संभावना है।
19	नवीनीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गयी समस्त शर्तों का पालन किया गया है, या नहीं।	हाँ

20	गैर-साईट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जांच विकल्प।	यह साईट स्पेसिफिक परियोजना है।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाण-पत्र।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम वनभूमि की उपयोगिता बावत प्रमाण-पत्र दिया गया है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाईश।	नहीं।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	निरंक
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिशें।	वनभूमि की मांग न्यूनतम है उक्त परियोजना विकास हित में है, अतः 3.077 हे० वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

स्थान :- शहडोल

दिनांक :-

(प्रदीप मिश्रा)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण शहडोल वनमण्डल

6/1/2018